मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः05.04.2026

थाना पड़री व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 50 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन के साथ 05 शातिर अंतर्जनपदीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 04.04.2026 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर 01 चार पहिया वाहन संख्याः UP 32 FV 0200 (होन्डासिटी) में सवार 05 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. सत्यम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी अघवार थाना पड़री जनपद मीरजापुर, 2. सौरभ मिश्रा उर्फ पुष्कर मिश्रा पुत्र घनश्याम मिश्रा निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर, 3. विकास तिवारी उर्फ विक्कू पुत्र भोला तिवारी निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर, 4. राजन तिवारी उर्फ विश्वजीत तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी निवासी नबैया थाना मेजा जनपद प्रयागराज व 5. पवन पाण्डेय पुत्र कैलाश पाण्डेय निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन की तलाशी ली गयी तो वाहन में छिपाकर रखा हुआ कुल 100.60 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-79/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त उक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे सम्भलपुर, उड़ीसा से होन्डा सिटी कार में छिपाकर गांजा लादकर मीरजापुर, प्रयागराज व आसपास के जनपदों में स्पलाई के लिये ले जा रहे थे, इस दौरान पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। गांजा बेच कर प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. सत्यम सिंह उर्फ राहुल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी अघवार थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र 30 वर्ष।
2. सौरभ मिश्रा उर्फ पुष्कर मिश्रा पुत्र घनश्याम मिश्रा निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र 24 वर्ष।
3. विकास तिवारी उर्फ विक्कू पुत्र भोला तिवारी निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र 24 वर्ष।
4. राजन तिवारी उर्फ विश्वजीत तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी निवासी नबैया थाना मेजा जनपद प्रयागराज, उम्र 40 वर्ष।
5. पवन पाण्डेय पुत्र कैलाश पाण्डेय निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

100.60 किलो ग्राम अवैध गांजा (अंतराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹ 50 लाख)
गांजा परिवहन में प्रयुक्त चार पहिया वाहन संख्याः UP 32 FV 0200 (होन्डा सिटी)
03 मोबाइल फोन व 510 नगद जामातलाशी।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-79/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-(पवन पाण्डेय-हिस्ट्रीसीटर-थाना पड़री)

1. मु0अ0सं0- 278/2017 धारा 294,427,411 भादवि थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0- 153/2017 धारा 307,34 भादवि थाना हलिया जनपद मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0- 245/2017 धारा 394,411 भादवि थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0- 01/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि. थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-(विकास तिवारी)

1. मु0अ0सं0- 150/2023 धारा 120बी,182,195,211,307 भादवि व 3/25/27/35 आयुध अधि. थाना को0देहात मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-(सत्यम सिंह उर्फ राहुल)

1. मु0अ0सं0- 313/2016 धारा 147,308,323,325,504,506 भादवि थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम बडौरी महादेव मंदिर के पास से, दिनांकः 04.04.2026 को समय 19.04 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
उप निरीक्षक दया राम यादव मय पुलिस टीम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह सर्विलांस/एसओजी मय पुलिस टीम।

LUCKNOW
VARANASI
SILIGURI
MUZAFFARPUR
SONEPAT
RAJPURA
JAMMU
WT. 50 Kg. WHEN PACKED
USE NO HOOK

****